उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(पंचायत शाखा)

– :: आवश्यक सूचना :: –

पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या– 395, दिनांक 19/12/2021 के आलोक में 15वें वित्त आयोग मद अन्तर्गत कनीय अभियन्ता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवा अनुबंध पर प्राप्त करने हेतु विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित की गई थी। विभागीय पत्रांक– 1966, दिनांक 11/10/2021 के द्वारा उपरोक्त पद हेतु आवेदित अभ्यर्थियों की अन्तिम मेघा सूची तैयार करने के लिए निर्धारित समय–सारणी के आलोक में दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु प्रारम्भिक मेघा सूची का औपबंधिक प्रकाशन अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित विवरणी/संलग्न प्रमाण पत्र के आलोक में तैयार की गई है, जिसे रामगढ़ जिला के वेबसाईट www.ramgarh.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिन अभ्यर्थियों को सूची में अंकित विवरणी में किसी प्रकार की आपत्ति/दावा हो तो दिनांक 09/11/2021, संध्या 5:00 बजे तक अपना दावा आपत्ति जिला पंचायत राज कार्यालय, रामगढ़ मे हाथो–हाथ अथवा ई–मेल आई०डी० dproram@gmail.com के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरांत कोई भी आपत्ति या किसी प्रकार के दावा पर विचार नहीं किया जायेगा।

ह०/–
उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक......650....../पं० रामगढ़, दिनांक ....02/11..../2021

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 15वें वित्त आयोग मद अन्तर्गत कनीय अभियन्ता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्युटर ऑपरेटर पद के अभ्यर्थियों की सूची हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए निर्देश दिया जाता है कि अविलम्ब रामगढ़ जिला के वेबसाईट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरी को संसूचित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 15वें वित्त आयोग मद अन्तर्गत कनीय अभियन्ता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्युटर ऑपरेटर के पद के अभ्यर्थियों का दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु स्थानीय समाचार पत्र में उपरोक्त विज्ञापन का प्रकाशन सुनिश्चित कराते हुए अखबार कतरन की प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

माधवी मिश्रा
02.11.2021
उपायुक्त,
रामगढ़।